बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

524 (4)

प्रेषक,

शंकर झा,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार/
सभी सिविल सर्जन, बिहार/
सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/
सभी प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज/
सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, कुष्ट, मलेरिया, टी0बी0,फाईलेरिया/
उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, (यक्ष्मा)/
अधीक्षक, राज्य स्वास्थ्य भंडार, गुलजारबाग, पटना।

पटना, दिनांक– 6 मार्च, 2013

विषयः– न्यायादेश **स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में अवैध/फर्जी नियुक्ति के संदर्भ में प्राप्त के आलोक में कार्रवाई के संबंध में।**

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय से संबंधित पूर्व निर्गत पत्र 915(4) दिनांक–17.06.2012, 1660(4) दिनांक–30.11.2012, 840(11) दिनांक–3.12.2012, 1783(4) दिनांक–14.12.2012 एवं ज्ञापांक–02(4) दिनांक–5.1.2013 में पूर्व नियोजन/परिणामिक लाभ संबंधी सभी आदेशो को विलोपित करते हुए निम्नांकित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

1– जिन मामलों में SLP/LPA दायर करने की संभावना नहीं रह गयी है वैसे मामलों में न्यायादेश के अनुपालन में योगदान स्वीकृत किया जाय।

2– यदि किसी की लापरवाही/गलती के कारण SLP/LPA दायर नहीं हुआ है उनको चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाय।

3– जिन मामलों में SLP/LPA दायर करना है उसे तत्परता से दायर किया जाय।

4– जिन मामलों में LPA है या SLP लंबित है में निर्णय होने तक प्रतीक्षा की जाय।

5– माननीय न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) उदय सिन्हा कमिटि में खारिज मामलों में योगदान स्वीकृत करने अथवा भुगतान की कार्रवाई नहीं की जाय।

6– सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–267/2010 राम सेवक यादव बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–472/2010 उमेश राम बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में वृहत खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश का अवलोकन कर निष्कर्ष तक पहुँचा जाय।

7– प्रत्येक जिला में एक समिति गठित कर एम0जे0सी0 सं0–1428/2010 संजीव प्रसाद बनाम राज्य सरकार एवं अन्य संलग्न अवमाननावादों में दिनांक–4.2.2013 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में मामलों को पाँचो श्रेणी में वर्गीकृत कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

8– जिन मामलों में भुगतान करना है उनमें बजट में उपलब्ध राशि से ही तत्काल भुगतान की कार्रवाई की जाय। यदि वांछित राशि अनुपलब्ध हो तो बजट उपबंध करने की कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

5.3.13

(शंकर झा)
सरकार के अपर सचिव।